न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57/2021 – निगरानी

1. विनोद कुमार पुत्र घनश्याम खटीक, निवासी बाणियों का तालाब तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

बनाम

1. बाबु लाल पुत्र मुलचन्द खटीक, निवासी बाणियों का तालाब पटवार हल्का कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. राजकुमार पुत्र मुलचन्द खटीक, निवासी बाणियों का तालाब पटवार हल्का कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. महावीर पुत्र मुलचन्द खटीक, निवासी बाणियों का तालाब पटवार हल्का कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम पंचायत कास्यां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत कास्यां जरिये सचिव ग्राम पंचायत कास्यां तहसील, बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत कास्यां द्वारा मिसल संख्या 12 दिनांक 22.08.2008 एवं मिसल संख्या 2/2009–10 दिनांक 20.08.2009 रसीद संख्या 31 एवं पट्टा संख्या 38 दिनांक 17.08.1988 को जारी पट्टे निरस्त कराने बाबत्।

अधिवक्तागण –

1. श्री मुकेश कुमार धोबी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मुकेश सुवालका अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से
3. सुश्री सरिता स्वर्णकार अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 व 03 ओर से

निर्णय

दिनांक 26.06.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा की सरहद में ग्राम पंचायत कास्यां द्वारा आराजी संख्या 43 जो कि खनिज भूमि हैं, इस आराजी में गैर निगराकारगण संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा आराजी सं. 43 की भूमि में से गैर निगराकारगण को पट्टे जारी कर दिया गये है। जो अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियम 141 से 167 की कोई

नहीं किया फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर पट्टे जारी कर दिये गया। पत्रावली में आवेदन करने की दिनांक, नजरी नक्शा बनाने की दिनांक, वार्ड पंचो के द्वारा मौका निरीक्षण करने की दिनांक, कोरम की बैठक की दिनांक, निर्णय की दिनांक अंकित नहीं है। इससे जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में सभी कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। सचिव द्वारा आवेदक की उपस्थिति में पट्टा स्थल का नक्शा नहीं बनाया गया है। वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा कोई मौका नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति पत्र भी जारी नहीं किया गया है। इस कारण पट्टा निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अबादी भूमि बाबत् पटवार हल्का से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया, वह भूमि गैर निगराकारगण संख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी भूमि नहीं है तथा पट्टे भी भूमि पर गैर निगराकारगण का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आराजी संख्या 43 खनिज भूमि है, फिर भी ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर भारी भूल फरमाथी है। आराजी संख्या 43 पर वर्ष 1966 में उक्त भूमि खनिज विभाग माईनिंग कार्य हेतु अलोट हो गई थी तथा कानूनन ग्राम पंचायत कास्यां द्वारा उक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति के नाम पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं, फिर भी ग्राम पंचायत कास्यां विधि एवं तथ्यों के परे जाकर गैर निगराकारगण के पक्ष में पट्टे जारी कर दिये जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं एवं तुरन्त प्रभाव से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार फरमा ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 को फर्जी तरीके से जारी किये गये खनिज भूमि के पट्टे को निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने विधिवत् तौर आवेदन किया हैं और पंचायत द्वारा आवेदन पत्र पर नियमानुसार जांच कर कोरम बैठक में नियमानुसार पटटा जारी किया हैं। गैर निगराकार संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 43 पर नहीं, बल्कि स्वयं की पुश्तैनी भूमि का मालिक होने पर नियमानुसार पटटा जारी किया गया हैं। वास्तव में गैर निगराकार संख्या 01 की जायदाद पर आने जाने के रास्ते पर निगराकार द्वारा अवैध तौर कब्जा करके माकन का निर्माण करवा लिया गया जिससे आम रास्ता बंद हो जाने से गैर निगराकार को काफी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

असुविधा होती हैं। इस बाबत् निगराकार को ओलम्बा देने पर लडाई झगडा करता हैं। निगराकार अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया एवं निगरानी मेमों में अंकित किया कि गैर निगराकार संख्या 01 को खनन क्षैत्र में पटटा जारी किया गया हैं। लेकिन निगराकार ने इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि गैर निगराकार संख्या 01 को जारी पटटा खनन क्षैत्र में हो। उक्त पटटा वर्ष 1988 का हैं जिसे लगभग 34 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस दौरान निगराकार ने उक्त पटटे के खण्डन बाबत् किसी न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। उक्त निगरानी प्रकरण में निगराकार का कोई हितबद्ध नही हैं। सभी आरोप मिथ्या व झूठे हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने उक्त निगरानी प्रकरण 3 पटटों (गेर निगराकार संख्या 01 से 03) के विरूद्व एक ही निगरानी पेश की है जो काननून पोषणीय नहीं हैं।

निगराकार ने उक्त निगरानी में यह कथन अंकित किया हैं कि प्रश्नगत पटटा खनन क्षैत्र की भूमि में से जारी किया गया हैं। किन्तु निगराकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पटटा खनन क्षैत्र की भूमि पर अवस्थित हो। न ही निगराकार ने खनन विभाग को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कांस्या की पत्रावली परीक्षण से भी उक्त प्रश्नगत पटटा खनन क्षैत्र में जारी होना नहीं पाया गया।

निगराकार ने अपनी निगरानी मेमों में एवं लिखित बहस व मौखिक बहस में यह कथन कहा हैं कि उक्त प्रश्नगत पटटा जारी होने से पूर्व गेर निगराकार द्वारा कोई आवेदन ग्राम पंचायत में नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण में गैर निगराकार द्वारा विधिवत् तौर आवेदन किया हुआ हैं, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल कायम कर कोरम बैठक में उक्त प्रश्नगत पटटा जारी करने की कार्यवाही की गयी।

निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधि0 के तहत विहित प्रावधानों की पालना नहीं कर आलोच्य आदेश

अति. जिला कलक्टर

पारित फरमाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचो की कमेटी का गठन, मौका देखा जाकर नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट, आपत्ति पत्र जारी करना इत्यादि कोई कार्यवाही नहीं करके विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुये उक्त प्रश्नगत पटटा गैर निगराकार के नाम अलोट किया है जो गलत हैं।

निगराकार के उक्त कथन के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का परीक्षण करने पर जाहिर आया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचों की कमेटी का गठन कर नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट तैयार किया गया। आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पुश्तैनी मकान निर्मित होने के आधार पर 200/–रूपये शुल्क जमाकर पटटा जारी किया गया जो विधिनुरूप प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत पटटा गैर निगराकार को जारी किया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत कांस्या पंचायत समिति बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)